राजस्थान विधानसभा का षष्ठम् सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित

drishtiias.com/hindi/printpdf/sixth-session-of-rajasthan-legislative-assembly-adjourned-indefinitely

चर्चा में क्यों?

18 सितंबर, 2021 को राजस्थान विधानसभा का षष्ठम् सत्र अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- **विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी** ने बताया कि 10 फरवरी, 2021 को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई थी। इसमें कुल 26 बैठकें हुईं तथा कार्यवाही समाप्त होने तक लगभग 186 घंटे 46 मिनट विधानसभा की कार्यवाही चली।
- उन्होंने बताया कि इस सत्र में कुल 8763 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 3941 एवं अतारांकित प्रश्न 4822 हैं। कुल 447 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 290 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए एवं उनके उत्तर दिये गए। इसी तरह 470 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।
- सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-50 के अंतर्गत कुल 405 स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें से 125 स्थगन प्रस्तावों पर सदन में बोलने का अवसर दिया गया तथा 116 सदस्यों ने अपने विचार रखे।
- सदस्यों से प्रक्रिया के नियम-295 के अंतर्गत प्राप्त 362 विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 52 सूचनाएँ सदस्यों के सदन में अनुपस्थित होने के कारण व्यपगत हुईं।
- प्रक्रिया के नियम-131 के अंतर्गत 890 प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं। सदन में कुल 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अग्राह्य किये गए।
- विभिन्न विभागों से संबंधित 11 अनुदानों की मांगों पर विभिन्न दिवसों में हुई चर्चा में कुल 272 सदस्यों ने भाग लिया।
- अनुदान की मांगों पर 2682 कटौती प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 1929 कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये गए एवं 753 कटौती प्रस्ताव अग्राह्य किये गए।
- डॉ. जोशी ने बताया कि वर्तमान सत्र में पुन:स्थापित किये गए 17 विधेयक तथा गत सत्र में पुन:स्थापित हुए विधेयकों को सम्मिलित करते हुए कुल 20 विधेयक सदन द्वारा पारित किये गए।
- विधेयकों पर सदस्यों से कुल 362 संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 30 संशोधन प्रस्ताव सचिवालय स्तर पर अग्राह्य एवं 332 संशोधन स्वीकार किये गए। सदन में 9 याचिकाएँ सदस्यों द्वारा उपस्थापित की गईं। सत्र में विभिन्न समितियों के कुल 41 प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गए।